न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 01/2020 ::
जीसीएमएस नं. :: 2020/00141

प्रार्थी :–
पुनाराम पुत्र श्री तलारामजी, जाति जणवा चौधरी, निवासी– लालराई, तहसील–बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
2. खरताराम पुत्र श्री मोटारामजी,
3. राजाराम पुत्र श्री मोटारामजी, जातिगण--जणवा चौधरी, निवासीगण गुड़ा पाटिया हाल लालराई, तहसील–बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से लक्ष्मण के. चौधरी
अप्रार्थीगण की ओर से अरिहन्त चौपड़ा

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :–27.01.2021

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी बाली में विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/2020 बअनवान खरताराम वगैरा बनाम पूनाराम वगैरा को अन्यत्र उपखण्ड न्यायालय में स्थानान्तरित कराने हेतु अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। एवं उपखण्ड अधिकारी बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ ही उनके न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली तलब कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण के संदर्भ में अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाली बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के दिनाँक 28.07.2020 को दोपहर में जैर प्रार्थना पत्र आराजी पर आये एवं वहां उपस्थित प्रार्थी के चचेरे भाई लालाराम के सामने मोटाराम व उनके सहयोगियों को बुलाया एवं प्रार्थी की भूमी में घुस कर उसके भाई लालाराम को धमकाया एवं बाड़ हटा दी। एवं घीसूलाल वाहन चालक ने तहसीलदार जी के वाहन को खसरा नंबर 650 की माठ के पास तीन चार बार चलकार प्रार्थी के खेत में जवार की खड़ी फसल नष्ट कर रास्ता बनाया। इस प्रकार तहसीलदार ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थी की उक्त आराजी से आने–जाने हेतु रास्ते के लिए खुला रखने के लिए कहा तथा फसल रौंद कर नष्ट कर दी। प्रार्थी ने मना किया तथा उपखण्ड न्यायालय बाली में जैर प्रार्थना पत्र प्रकरण विचाराधीन होने का हवाला भी दिया कि उसमें जो भी निर्णय होगा वह मान्य होगा। आप जौर जबरदस्ती से कैसे रास्ता निकाल सकते हो इस पर तहसीलदार साहब ने कहा कि तू मूझे कानून मत सिखा। आदेश मेरे हाथ में है जब प्रार्थी ने आदेश दिखाने को कहा तो किसी प्रकार की आदेश की प्रति नहीं दिखाई न जानकारी दी यहां तक की प्रार्थी को जेल भेजने तक की धमकी भी दी। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाली ने अपने पद कर दुरूपयोग करते हुए जबरदस्ती अवैध रूप से रास्ता निकालने जैसा आपराधिक कृत्य किया है एवं अप्रार्थीगण को फायदा पहुँचाने की नियत से यह कृत्य किया है। इस घटना की जानकारी उपखण्ड अधिकारी महोदय को दी तो उन्होंने तहसीलदार के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। जिससे प्रार्थी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही। ऐसी स्थिति में प्रार्थी पाली आया एवं यह प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जैर प्रार्थना पत्र प्रकरण अन्य किसी उपखण्ड न्यायालय में बाद सुनवाई निष्पक्ष निर्णय हेतु स्थानांतरित करावे जिससे प्रार्थी को न्याय मिल सके।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने लिखित बहस पेश की। लिखित बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने उल्लेखित किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमी खसरा नंबर 651 रकबा 0.62 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल ग्राम लालराई में स्थित है तथा उसके चिपते ही खसरा नंबर 651 की भूमी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की भी स्थित है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नया रास्ता प्राप्त करने हेतु जैर प्रार्थना पत्र प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बाली में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पेश किया हुआ है उस बाबत प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य सही नहीं है अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बाली द्वारा कोई अवैधानिक कार्य नहीं किया गया है विधी सम्मत कार्यवाही की है प्रार्थी के भाई को धमकी भी नहीं दी गई है न जबरदस्ती की है न ही प्रार्थी की खातेदारी भूमी में घुसकर बाड़ हटाई है तहसीलदार बाली ने अप्रार्थी संख्या 2 की मांग

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश.....2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2021.03.05 19:46:53 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार मौके पर रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की है। जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण डीएलसी दर प्रति बिघा के हिसाब से रकम अदा करने के लिए भी तैयार है। तहसीलदार बाली भी मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बाली में विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार है वे किसी भी प्रकार से न्यायालय को प्रभावित नहीं कर सकते है। न उन्होंने दुर्भावना पूर्ण कार्य किया है इस प्रार्थना पत्र में मात्र तहसीलदार बाली को दोषारोपित किया गया है जो मात्र प्रकरण को लम्बित करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया है जिसे सव्यय खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी ने प्रकरण संख्या 06/2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली से अन्यत्र स्थानांतरण कराने हेतु प्रस्तुत किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा न्यायालय में की जाने वाली कार्यवाही को अथवा उनके व्यवहार को आक्षेपित नहीं किया गया है न ही ऐसा कोई कृत्य करने बाबत आक्षेप लगाया है जिससे कि न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सके। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में मात्र तहसीलदार बाली पर आक्षेप लगाते हुए प्रकरण अन्यत्र स्थानानान्तरण की प्रार्थना की है जिसका कोई आधार नहीं है तहसीलदार बाली स्वयं मातहत अदालत में विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार है तहसीलदार बाली द्वारा प्रकरण में मात्र तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने से नाराज होकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना प्रतित होता है जबकि तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट जो प्रकरण में पेश की गई। वह तहसीलदार द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक बाली एवं रूबरू मौतबिरान के साथ बाद मौका जाँच पेश की गई है। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है। तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा इस प्रार्थना पत्र के संदर्भ में प्रेषित तथ्यात्मक टिप्पणी से भी यह स्पष्ट है कि न्यायालय का कार्य न्याय को प्रभावित करने वाला कतई नहीं है। न ही प्रार्थी ने इस बाबत कोई आक्षेप आरोपित किया है। वकील प्रार्थी प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने बाबत कोई ठोस वजह प्रस्तुत नहीं कर पाये है। जिससे यह प्रार्थना पत्र मातहत अदालत के प्रकरण को लम्बित करने की चेष्ठा से प्रस्तुत किया जाना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को बिना किसी ठोस वजह के स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित एवं विधी सम्मत नहीं हाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनाँक 27.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:46:53 IST
Reason: SelfAttested